

न्यायालय सहायक कलक्टर भीण्डर, जिला उदयपुर



पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाड़िया (RAS)

GCMS संख्या : 2022 / 101

प्रकरण संख्या : 23 / 22

अनवान

1. नारु पुत्र देवा गाडरी, निवासी गढी, पटवार हल्का धारता, तहसील कानोड़, उदयपुर।

.....वादी

बनाम

1. भेरूलाल पुत्र देवा गाडरी निवासी गढी, पटवार हल्का धारता, तहसील कानोड़, उदयपुर।

2. भूमिधारी जरिए तहसीलदार कानोड़ जिला उदयपुर।

.....प्रतिवादी

अधिवक्ता वादी : श्री लक्ष्मणगिरी गोस्वामी

अधिवक्ता प्रतिवादी : श्री लोकेश शेर

निर्णय

दिनांक : 23.05.2022

1. वादी श्री नारु पिता देवा गाडरी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा गढी, पटवार हल्का धारता, भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त सालेडा, तहसील कानोड़ की जमाबन्दी संवत् 2078-81 के खाता संख्या 34 में स्थित आराजी संख्या 134, रकबा, 0.1100 हैक्टेयर, आराजी संख्या 144, रकबा 0.4100 हैक्टेयर, आराजी संख्या 145, रकबा 0.3100 हैक्टेयर, आराजी संख्या 148 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, आराजी संख्या 149, रकबा 0.1400 हैक्टेयर, आराजी संख्या 154, रकबा 0.0900 हैक्टेयर, आराजी संख्या 275/48 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, आराजी संख्या 276/66, रकबा 0.0300 हैक्टेयर, आराजी संख्या 50 रकबा 0.5400 हैक्टेयर, आराजी संख्या 51, रकबा 0.5300 हैक्टेयर, आराजी संख्या 63 रकबा 0.3600 हैक्टेयर, आराजी संख्या 64 रकबा 0.0700 हैक्टेयर, आराजी संख्या 65 रकबा 0.2700 हैक्टेयर, आराजी संख्या 66, रकबा 0.1200 हैक्टेयर, आराजी संख्या 67, रकबा 0.0300 हैक्टेयर, आराजी संख्या 72 रकबा 0.2100 हैक्टेयर, आराजी संख्या 73, रकबा 0.0100 हैक्टेयर, आराजी संख्या 74, रकबा 0.2700 हैक्टेयर, आराजी संख्या 75 रकबा 0.2800 हैक्टेयर, आराजी संख्या 76 रकबा 0.2500 हैक्टेयर, आराजी संख्या 77 रकबा 0.2300 हैक्टेयर, आराजी संख्या 80 रकबा 0.6300 हैक्टेयर,

आराजी संख्या 83 रकबा 0.1700 हैक्टेयर कुल किता 23, कुल रकबा 5.2500

हैक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में वादी नारू का 1/2 हिस्सा, एवं प्रतिवादी संख्या 1 भैरूलाल का हिस्सा 1/2 होकर खातेदार के नाम पर राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है।

2. उपरोक्त वर्णित आराजी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त खातेदारी में राजस्व रेकॉर्ड में अंकित होकर अपने अपने हिस्से कि भूमि में काबिज होकर कृषि कार्य करते व भूमि का अपने अपने सुविधानुसार उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं, मात्र कानूनी रूप से विभाजन नहीं होने से उक्त भूमि संयुक्त खातेदारी के रूप में राजस्व रेकॉर्ड में संयुक्त रूप से दर्ज है। उपरोक्त भूमि का कोई विधिवत विभाजन नहीं होने की वजह से अपनी सुविधानुसार उपभोग कर रहे हैं लेकिन किसी भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं इसलिये विधिवत विभाजन कराया जाना न्याय हित में आवश्यक हो गया है जिससे पक्षकार अपने-अपने हिस्से में आने वाली भूमि का बेहतर विकास कर पायेंगे तथा राजकीय योजनाओं का भी पूर्ण लाभ ले पायेंगे। उपरोक्त भूमि का पूर्व में मौखिक रूप से विभाजन हो चुका है तब से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 अपने हिस्से में आये हुए आराजियात पर सुख-शांति पूर्वक कब्जा होकर काश्त कर रहे हैं। केवल मात्र राजस्व रेकॉर्ड में संयुक्त रूप से प्रवृष्टि दर्ज होने की वजह से वादी द्वारा यह वाद अलग-अलग प्रवृष्टि दर्ज करने हेतु लाया गया है।

3. उपरोक्त वर्णित आराजियात का विधिवत विभाजन किये जाने हेतु वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से दिनांक 06.04.2022 को निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी से कहा कि कानूनी कार्यवाही कराकर अलग-अलग विभाजन करवा लो, कहने से वाद कारण पैदा हुआ तब से निरन्तर जारी है। वादी का वाद विभाजन आराजियात का होने से तथा प्रतिवादी संख्या 2 भूमिधारी होने की वजह से वह इस वाद के आवश्यक पक्षकार होने से इस वाद में प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है। अतः वादी वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाद पत्र में वर्णित आराजियात का राजस्व रेकॉर्ड में अंकित हिस्सेनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य हिस्से कब्जे काश्त के माफिक विधिवत विभाजन कराया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अलग-अलग स्वतंत्र प्रविष्टि दर्ज किये जाने एवं इसी अनुरूप राजस्व नक्शे में पृथक पृथक भूमि तरमीम किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

4. हमने पत्रावली को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सूचना पत्र तलब किया। प्रतिवादी संख्या 1 मय अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर बंटवांडा किये जाने हेतु सहमती व्यक्त की एवं बंटवाड़ा किये जाने पर तथा प्रतिवादी संख्या 1 के फर्द अहकाम आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये गये एवं दस्तावेज प्रदर्श किये गये।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत दस्तावेज जमाबन्दी संवत् 2078-81 का ध्यान पूर्वक अध्ययन किया तथा विद्वान वादी एवं प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर मनन किया जिसमें मौजा गढ़ी, पटवार हल्का धारता, तहसील कानोड़ की जमाबन्दी संवत् 2078-81 के खाता संख्या 34 में स्थित आराजी संख्या 134, रकबा, 0.1100 हैक्टेयर, आराजी संख्या 144, रकबा 0.4100 हैक्टेयर, आराजी संख्या 145, रकबा 0.3100 हैक्टेयर, आराजी संख्या 148 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, आराजी संख्या 149, रकबा 0.1400 हैक्टेयर, आराजी संख्या 154, रकबा 0.0900 हैक्टेयर, आराजी संख्या 275/48 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, आराजी संख्या 276/66, रकबा 0.0300 हैक्टेयर, आराजी संख्या 50 रकबा 0.5400 हैक्टेयर, आराजी संख्या 51, रकबा 0.5300 हैक्टेयर, आराजी संख्या 63 रकबा 0.3600 हैक्टेयर, आराजी संख्या 64 रकबा 0.0700 हैक्टेयर, आराजी संख्या 65 रकबा 0.2700 हैक्टेयर, आराजी संख्या 66, रकबा 0.1200 हैक्टेयर, आराजी संख्या 67, रकबा 0.0300 हैक्टेयर, आराजी संख्या 72 रकबा 0.2100 हैक्टेयर, आराजी संख्या 73, रकबा 0.0100 हैक्टेयर, आराजी संख्या 74, रकबा 0.2700 हैक्टेयर, आराजी संख्या 75 रकबा 0.2800 हैक्टेयर, आराजी संख्या 76 रकबा 0.2500 हैक्टेयर, आराजी संख्या 77 रकबा 0.2300 हैक्टेयर, आराजी संख्या 80 रकबा 0.6300 हैक्टेयर, आराजी संख्या 83 रकबा 0.1700 हैक्टेयर कुल किता 23, कुल रकबा 5.2500 हैक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी नारु पुत्र देवा गाडरी हिस्सा 1/2 एवं प्रतिवादी संख्या 1 भैरूलाल पुत्र देवा जाति गाडरी हिस्सा 1/2 होकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। प्रतिवादीगण द्वारा भी बंटवारा करने पर सहमति व्यक्त कर दी गई है। अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता है।

6. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाता है कि गढ़ी, पटवार हल्का धारता, तहसील कानोड़ की जमाबन्दी संवत् 2078-81 के खाता संख्या 34 में स्थित आराजी संख्या 134, रकबा, 0.1100 हैक्टेयर, आराजी

सहायक कलेक्टर
भीण्डर

संख्या 144, रकबा 0.4100 हैक्टेयर, आराजी संख्या 145, रकबा 0.3100 हैक्टेयर, आराजी संख्या 148 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, आराजी संख्या 149, रकबा 0.1400 हैक्टेयर, आराजी संख्या 154, रकबा 0.0900 हैक्टेयर, आराजी संख्या 275 / 48 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, आराजी संख्या 276 / 66, रकबा 0.0300 हैक्टेयर, आराजी संख्या 50 रकबा 0.5400 हैक्टेयर, आराजी संख्या 51, रकबा 0.5300 हैक्टेयर, आराजी संख्या 63 रकबा 0.3600 हैक्टेयर, आराजी संख्या 64 रकबा 0.0700 हैक्टेयर, आराजी संख्या 65 रकबा 0.2700 हैक्टेयर, आराजी संख्या 66, रकबा 0.1200 हैक्टेयर, आराजी संख्या 67, रकबा 0.0300 हैक्टेयर, आराजी संख्या 72 रकबा 0.2100 हैक्टेयर, आराजी संख्या 73, रकबा 0.0100 हैक्टेयर, आराजी संख्या 74, रकबा 0.2700 हैक्टेयर, आराजी संख्या 75 रकबा 0.2800 हैक्टेयर, आराजी संख्या 76 रकबा 0.2500 हैक्टेयर, आराजी संख्या 77 रकबा 0.2300 हैक्टेयर, आराजी संख्या 80 रकबा 0.6300 हैक्टेयर, आराजी संख्या 83 रकबा 0.1700 हैक्टेयर कुल किता 23, कुल रकबा 5.2500 हैक्टेयर भूमि का विभाजन हक हिस्से एवं कब्जे अनुसार किया जावे। वाद वर्णित आराजियात में वादी का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा है। वादी एवं प्रतिवादी के हिस्से पर रहन प्रविष्टि बदस्तुर जारी रहेगी। बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार भीण्डर को 1000/- रुपये शुल्क पर बंटवाड़ा कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि उक्त भूमि का स्थल निरीक्षण किया जाकर तथा सभी पक्षकारान को जरिये सूचना पत्र तलब किया जाकर दोनो की उपस्थिति में बंटवाड़ा प्रस्तावित किया जावे। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों का पुर्णरूपेण पालन किया जावे। वादी का हिस्सा पृथक कर पृथक से खाता कायम किया जावे। विभाजन सूची, लगान सूची, नक्शा ट्रेस 2-2 प्रतियों में पेश किया जावे। फीस कमिश्नर वादी मौके पर अदा करें।

7. प्रारम्भिक पर्चा डिक्री जारी हो।

8. निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली वास्ते प्रारम्भिक डिक्री की पालना हेतु ~~पेश~~ दिनांक 27/6/22 को पेशला



रमेश सीरवा पुनाडिया (ह.क.)
सहायक कलक्टर
भीण्डर, जयपुर (राज.)

प्रारम्भिक डिक्री व मुकद्दमें इब्तदाई

आ 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी

अज अदालत : सहायक कलक्टर भीण्डर

बईजलास : रमेश सीरवी पुनाड़िया RAS

उनवान

1. नारु पुत्र देवा गाडरी, निवासी गढी, पटवार हल्का धारता, तहसील कानोड, उदयपुर।

.....वादी

बनाम

1. भेरूलाल पुत्र देवा गाडरी निवासी गढी, पटवार हल्का धारता, तहसील कानोड, उदयपुर।
2. भूमिधारी जरिए तहसीलदार कानोड जिला उदयपुर।

.....प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

GCMS संख्या : 2022 / 101

प्रकरण संख्या : 23 / 22

यह मुकद्दमा आज वास्ते इन्फिसाल कर्तई रूबरू रमेश कुमार पुनाड़िया RAS मिनजानिव मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व प्रारम्भिक डिक्री दी जाती है कि :-

1. वाद वादी स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाता है कि गढी, पटवार हल्का धारता, तहसील कानोड की जमाबन्दी संवत् 2078-81 के खाता संख्या 34 में स्थित आराजी संख्या 134, रकबा, 0.1100 हैक्टेयर, आराजी संख्या 144, रकबा 0.4100 हैक्टेयर, आराजी संख्या 145, रकबा 0.3100 हैक्टेयर, आराजी संख्या 148 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, आराजी संख्या 149, रकबा 0.1400 हैक्टेयर, आराजी संख्या 154, रकबा 0.0900 हैक्टेयर, आराजी संख्या 275/48 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, आराजी संख्या 276/66, रकबा 0.0300 हैक्टेयर, आराजी संख्या 50 रकबा 0.5400 हैक्टेयर, आराजी संख्या 51, रकबा 0.5300 हैक्टेयर, आराजी संख्या 63 रकबा 0.3600 हैक्टेयर, आराजी संख्या 64 रकबा 0.0700 हैक्टेयर, आराजी संख्या 65 रकबा 0.2700 हैक्टेयर, आराजी संख्या 66, रकबा 0.1200 हैक्टेयर, आराजी संख्या 67, रकबा 0.0300 हैक्टेयर, आराजी संख्या 72 रकबा 0.2100 हैक्टेयर, आराजी संख्या 73, रकबा 0.0100 हैक्टेयर, आराजी संख्या 74, रकबा 0.2700 हैक्टेयर, आराजी संख्या 75 रकबा 0.2800 हैक्टेयर, आराजी संख्या 76 रकबा 0.2500 हैक्टेयर, आराजी संख्या 77 रकबा 0.2300 हैक्टेयर, आराजी संख्या 80 रकबा 0.6300 हैक्टेयर, आराजी संख्या 83 रकबा 0.

1700 हैक्टेयर कुल किता 23, कुल रकबा 5.2500 हैक्टेयर भूमि का विभाजन हक हिस्से एवं कब्जे अनुसार किया जावे। वाद वर्णित आराजियात में वादी का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा है। वादी एवं प्रतिवादी के हिस्से पर रहन प्रविष्टि बदस्तुर जारी रहेगी। बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार भीण्डर को 1000/- रुपये शुल्क पर बंटवाड़ा कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि उक्त भूमि का स्थल निरीक्षण किया जाकर तथा सभी पक्षकारान को जरिये सूचना पत्र तलब किया जाकर दोनो की उपस्थिति में बंटवाड़ा प्रस्तावित किया जावे। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों का पुर्णरूपेण पालन किया जावे। वादी का हिस्सा पृथक कर पृथक से खाता कायम किया जावे। विभाजन सूची, लगान सूची, नक्शा ट्रेस 2-2 प्रतियों में पेश किया जावे। फीस कमिश्नर वादी मौके पर अदा करें।

2. बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 23.05.2022 को जारी की गई।



रमेश सारिणी पुनाडिया (BA5)
सहायक कलक्टर
भीण्डर, जिला-ऊदपुर (राज.)
सहायक कलक्टर
भीण्डर